



वि. सं. ६६, अन्. वि. सं. ६६

सांख्यिक सं. ६६, ६६-६६

सांख्यिक सं. ६६, ६६-६६

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 25 अगस्त, 1995

भाद्रपद 3, 1917 भाक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1665/सन्नह-वि-1-1(क)-32/1995

लखनऊ, 25 अगस्त, 1995

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विद्यालय मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् विधेयक, 1995 पर दिनांक 25 अगस्त, 1995 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 1995 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1995

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 1995]

[(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)]

उत्तर प्रदेश राज्य में राज्य उच्च शिक्षा परिषद् की स्थापना के लिये और उसके लक्ष्य और प्रामाणिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

चूंकि भारत सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में सिफारिश है कि उच्च शिक्षा का राज्य स्तरीय नियोजन और समन्वय राज्य उच्च शिक्षा परिषद् के माध्यम से किया जायगा;

और चूंकि उपरोक्त राष्ट्रीय नीति के अनुसार राज्य उच्च शिक्षा परिषद् की स्थापना के संबंध में सिफारिश करने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक समिति का गठन किया था।

और चूंकि उक्त कमेटी ने सिफारिश की कि राज्य स्तर पर उच्च शिक्षा के उद्यम और समन्वय और राज्य स्तर के कार्यकर्ताओं के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के साथ समन्वय के लिए एक प्रभावी तंत्र की अत्यंत आवश्यकता है;

और चूंकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उक्त समिति की सिफारिश के अनुसार राज्य उच्च शिक्षा परिषद् की स्थापना के लिये मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकृत किये हैं;

और चूंकि राज्य सरकार ने तदनुसार भारत सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति और विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिश के अनुसार एक राज्य उच्च शिक्षा परिषद् की स्थापना करने का विनिश्चय किया है;

अतएव, अब, भारत गणराज्य के अध्यापकों के वर्ध में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम,
प्रारम्भ और लागू
होना

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1995 कहा जायेगा।

(2) यह 25 मई, 1995 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

(3) यह समस्त विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को जिनको उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 लागू होता है, लागू होगा।

परिभाषाएं

2--इस अधिनियम में,—

(क) "महाविद्यालय" का तात्पर्य विश्वविद्यालय की उपाधि ग्रहण करने के विभिन्न आवश्यक शिखर प्रदान करने के लिये विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित या मान्यता प्राप्त किसी संस्था से है और इसके अन्तर्गत कोई सम्बद्ध महाविद्यालय सहयुक्त महाविद्यालय, स्वायत्त महाविद्यालय और घटक महाविद्यालय भी हैं;

(ख) "परिषद्" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् से है;

(ग) "निधि" का तात्पर्य धारा 15 में निर्दिष्ट परिषद् की निधि से है;

(घ) "उच्च शिक्षा" का तात्पर्य शिक्षा, चाहे व्यावसायिक, प्राविधिक या अन्यथा हो, जिसका उद्देश्य किसी विश्वविद्यालय की कोई उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त करना हो से है;

(ङ) "उच्च शिक्षा की संस्था" का तात्पर्य उच्च शिक्षा में कोई अध्ययन पाठ्य-क्रम संचालित करने वाली किसी संस्था, जो राज्य सरकार द्वारा इस रूप में अनुमोदित हो, से है;

(च) "सदस्य" का तात्पर्य परिषद् के किसी सदस्य से है और इसके अन्तर्गत अध्यक्ष और सदस्य-सचिव भी हैं;

(छ) "विनियम" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन परिषद् द्वारा बनाये गये विनियम से है;

(ज) "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग" का तात्पर्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 4 के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से है;

(झ) यहाँ प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्द या पद, जो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 में परिभाषित हैं, के वही अर्थ होंगे जो उनके लिए उस अधिनियम में दिये गये हैं।

उच्च शिक्षा परिषद्
की स्थापना

3--(1) "उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद्" के नाम से एक परिषद् की स्थापना की जायेगी।

(2) परिषद् एक निगमित निकाय होगी।

(3) परिषद् का मुख्यालय लखनऊ में होगा।

परिषद् का गठन

4--परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:—

(क) विख्यात शिक्षाविदों में से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाने वाला अध्यक्ष जो कुलपति हो या रहा हो या जो भारत सरकार के अपर सचिव से अतिरिक्त स्तर का कोई सेवारत या सेवानिवृत्त व्यक्त प्रशासनिक अधिकारी हो और जो शिक्षा के क्षेत्र में अधिकारि और अनुभव रखता हो;

- (ख) राज्य सरकार का उच्च शिक्षा विभाग में प्रमुख सचिव/सचिव .. सदस्य-सचिव
- (ग) राज्य सरकार का वित्त विभाग में प्रमुख सचिव/सचिव .. सदस्य
- (घ) राज्य सरकार का नियोजन विभाग में प्रमुख सचिव/सचिव .. सदस्य
- (ङ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का सचिव या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्दिष्ट कोई अन्य अधिकारी जो संपुष्ट सचिव से अनिम्न स्तर का हो
- (च) निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश .. सदस्य
- (छ) निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश .. सदस्य
- (ज) विश्वविद्यालयों के कुलपतियों में से राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट तीन व्यक्ति .. सदस्यगण
- (झ) शिक्षा, अभियंता और विधि प्रत्येक के क्षेत्र में विद्यमान शिक्षाविदों में से राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट तीन से अधिक व्यक्ति .. सदस्यगण
- (ञ) महाविद्यालयों के प्राचार्यों में से परिषद् द्वारा सहयोजित एक व्यक्ति सदस्य
- (ट) प्रतिष्ठित उद्योगपतियों में से जिनका उच्च शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण योगदान है, परिषद् द्वारा सहयोजित एक व्यक्ति

5—परिषद् किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति को जिसकी त्हायता या सलाह को वह अपने कार्य के कार्यान्वित करने में वांछित समझे, अपने साथ सहयुक्त कर सकती है। किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए परिषद् के साथ सहयुक्त व्यक्ति को उक्त प्रयोजन से सुसंगत विचार-विमर्श में भाग लेने का अधिकार होगा किन्तु उसे परिषद् की बैठक में मत देने का अधिकार नहीं होगा।

विशिष्ट प्रयोजन के लिए परिषद् के साथ व्यक्तियों का प्रत्यायो सहयोजन

6—कोई व्यक्ति, परिषद् के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए या सदस्य के रूप में नाम-निर्दिष्ट किए जाने के लिए या ऐसी अध्यक्ष या नाम-निर्दिष्ट सदस्य होने के लिए, अनर्ह होगा, यदि—

परिषद् की सदस्यता के लिए अनर्हता

- (क) वह विकृत चित्त का हो;
- (ख) वह अनुन्मूक्त विवालिषा हो;
- (ग) उसे विधि के अधीन कारावास से दण्डनीय किसी अपराध के लिए, जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्गते हो, कारावास का दण्ड हुआ हो और ऐसा दण्ड निर्धारणाधीन किया गया हो और दण्ड की समाप्ति के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि व्यपगत न हुई हो;
- (घ) वह परिषद् का जेतनभोगी अधिकारी या कर्मचारी हो; या
- (ङ) उतने ऐसी अन्य अनर्हताएँ हों जैसी राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए।

7—(1) अध्यक्ष तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और नाम-निर्दिष्ट सदस्य और सहयोजित सदस्य एक वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे और, यथास्थिति, तीन वर्ष या एक वर्ष की अवधि के लिए पुनर्नियुक्त या पुनः नाम-निर्देशन या सहयोजन के लिए पात्र होंगे :

अध्यक्ष और नाम-निर्दिष्ट सदस्यों की सेवा के निबन्धन और शर्तें

परन्तु यदि कोई व्यक्ति 65 वर्ष की आयु का हो गया है तो वह परिषद् के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त या पुनर्नियुक्त का पात्र नहीं होगा।

(2) अध्यक्ष या नाम-निर्दिष्ट सदस्य या सहयोजित सदस्य, यथास्थिति, राज्य सरकार या परिषद् की सम्बन्धित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपने पद का त्याग कर सकता है किन्तु वह पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि उतका त्यागपत्र, यथास्थिति, राज्य सरकार या परिषद् द्वारा स्वीकार न कर लिया जाय।

(3) इस धारा के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अध्यक्ष और नाम-निर्दिष्ट सदस्यों की सेवा के अन्य निबन्धन और शर्तें ऐसी होंगी जैसी विहित की जायें।

(4) अध्यक्ष ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जैसे विहित किए जायें।

सदस्य-सचिव की शक्तियाँ और कर्तव्य 8--सदस्य-सचिव इस अधिनियम के अधीन उरी प्रदत्त शक्तियों या उस पर आरोपित दृष्टियों का, और ऐसी अन्य शक्तियों और दृष्टियों का जो विहित किए जाएं प्रयोग और पालन करेगा।

परिषद् की सदस्यता से हटाया जाना

9--यदि, किसी समय, राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि अध्यक्ष या नाम-निर्दिष्ट सदस्य या सहयोगित सदस्य ने स्वयंको पद के लिए अनुपयुक्त प्रदर्शित किया है या ऐसे कवाचार या उपेक्षा का बोधो रहा है जिसके कारण उसे हटाना समीचीन है तो राज्य सरकार, उसे कारण बताने का युक्तियुक्त द्रवसर देने के पश्चात्, अधिसूचना द्वारा, यथास्थिति, अध्यक्ष या ऐसे नाम-निर्दिष्ट या सहयोगित सदस्य को पद से हटा सकती है।

आकस्मिक रिक्ति का भरा जाना

10--यदि अध्यक्ष या किसी नाम-निर्दिष्ट या सहयोगित सदस्य का पद, चाहे उसकी मृत्यु, त्याग-पत्र, हटाए जाने या अन्यथा किसी कारण से रिक्त हो जाय तो ऐसी रिक्ति को, यथास्थिति, राज्य सरकार या परिषद् द्वारा यथासम्भव शीघ्र भरा जायगा और ऐसा अध्यक्ष या नाम-निर्दिष्ट या सहयोगित सदस्य छः मास से अधिका की अवधि के लिए या अन्यक रूप से नाम-निर्दिष्ट या सहयोगित सदस्य के कार्यभार ग्रहण करने तक, इनमें जो भी पहले हो, पद धारण करेगा।

परिषद् की शक्तियाँ और कृत्य

11--(1) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी मार्ग-दर्शक सिद्धान्तों के अनुसार विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में समन्वय करना और मानक निर्धारित करना परिषद् के कृत्य होंगे।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, परिषद् के कृत्यों में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे --

एक--योजना और समन्वय--

(क) राज्य उच्च शिक्षा की समग्र प्राथमिकताओं और संदर्शों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी मार्ग-दर्शक सिद्धान्तों को दृष्टि में रखते हुए राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में समेकित कार्यक्रमों को तैयार करना और उनके क्रियान्वयन में सहायता करना;

(ख) मानकों के अवधारण और अनुकरण के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सहायता करना और, जहाँ आवश्यक हो, सुधारात्मक कार्यवाही का सुझाव देना;

(ग) राज्य में उच्च शिक्षा के विकास के लिए समर्पण योजनाओं को तैयार करना;

(घ) यदि राज्य सरकार अपेक्षा करे तो अपनी समीक्षा और सिफारिशों के साथ विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के विकासात्मक कार्यक्रमों को उसे प्रस्तुत करना;

(ङ) उच्च शिक्षा की संस्थाओं के मध्य सहयोग को प्रोत्साहन देना और उद्योग और अन्य सम्बन्धित अधिष्ठानों के साथ अन्योन्य क्रिया के क्षेत्र का अन्वेषण करना;

(च) राज्य सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी मार्ग-दर्शक सिद्धान्तों के अनुसार नए महाविद्यालयों को प्रारम्भ करने के लिए और विद्यमान महाविद्यालयों में अतिरिक्त विषयों और विभागों को प्रारम्भ करने के लिए प्रतिमानों और सिद्धान्तों को सुदृढ करना;

(छ) राज्य में उच्च शिक्षा के लिए अतिरिक्त संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपायों और साधनों का सुझाव देना;

(ज) विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में वैज्ञानिक शोध को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर शोध निधिकरण का समन्वय करना;

दो-शैक्षिक कृत्य--

(क) विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के पाठ्यक्रम का पुनर्निर्माण और अद्यतन करके पाठ्यचर्यों के विकास में अभिनव परिवर्तन को प्रोत्साहित करना;

(ख) स्वायत्त महाविद्यालयों के कार्यक्रमों का समन्वय करना और उनके क्रियान्वयन का अनुसंधान करना;

(ग) विश्वविद्यालयों और स्वायत्त महाविद्यालयों द्वारा संचालित परीक्षाओं के स्तरों को सुधारने की रीति और उपायों को निकालना और आवश्यक सुधारों का सुझाव देना;

(घ) विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में अध्यापकों के प्रशिक्षण को सुसाध्य बनाना और समन्वय के द्वारा महाविद्यालयों के शैक्षिक कर्मचारियों के कृत्यों का निरीक्षण करना और उत्कृष्ट पाठ्य-पुस्तकों, प्रबंधों और सम्बन्धित पुस्तकों आदि के प्रकाशन को प्रोत्साहित करना;

(इ) विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में संकायों के बीच प्रभावी शैक्षिक सहयोग और अभ्योपक्रिया के लिए कार्यक्रमों को बिकास करना और राज्य के भीतर और बाहर अभ्यापकों और छात्रों की गतिशीलता को सुसाध्य बनाना;

(घ) विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में प्रवेश विनियमित करने के विषय पर परामर्श देना;

(ङ) विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में खेलकूद, क्रीडा, शारीरिक शिक्षा, सांस्कृतिक क्रिया-कलापों और अन्य शिक्षणोत्तर क्रिया-कलापों को प्रोत्साहित करना;

(ज) प्रसार क्रिया-कलापों को प्रोत्साहित करना और विश्वविद्यालयों और क्षेत्रीय योजना और विकास से सुसंगत विशिष्ट क्षेत्रों में प्रभावी परामर्श के माध्यम से विश्वविद्यालयों और उद्योगों के मध्य अभ्योपक्रिया को प्रोत्साहित करना;

(झ) राज्य में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के कार्य करने पर एक पर्यवेक्षणार्थक रिपोर्ट तैयार करना और उसकी एक प्रति राज्य सरकार को और ऐसे अन्य प्राधिकारियों को, जिन्हें राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे, भेजना;

(ञ) विश्वविद्यालयों में श्रेष्ठता के क्षेत्रों की पहचान करना और प्रति उन्नत क्षेत्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संयोजन को व्यवस्था करना;

(ट) विश्वविद्यालय के भीतर या बाहर ज्ञान के उन्नत क्षेत्रों में, जिसमें मोलिकुलर बायोलोजी, जैनेटिक इंजीनियरिंग, एरोस्पेस बायो-टेक्नालाजी भी सम्मिलित है, श्रेष्ठ संस्थाओं को बढ़ावा देना;

(ड) वैज्ञानिक शोध के लिए एक राज्य केन्द्र की स्थापना करना और विश्वविद्यालयों के मध्य शोध क्रिया-कलापों का समन्वय करना;

(ड) विशिष्ट वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों और शिल्प वैज्ञानिकों को उनके योगदान के लिए, प्रतिष्ठित पुरस्कारों को प्रारम्भ करना;

(ड) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद् और उच्च शिक्षा से सम्बन्धित अन्य केन्द्रीय अभिकरणों के साथ सम्पर्क कार्य करना;

तीन—सलाहकारी इत्य—

(क) नए विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की स्थापना से सम्बन्धित मानदण्डों के, यदि कोई हों, सम्बन्ध में राज्य सरकार को सुझाव देना;

(ख) विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित विधियों, राज्य में विश्वविद्यालयों के परिणयनों, अभ्याशों और विनियमों का परीक्षण करना और शैक्षिक कामकाजों के लिए स्वायत्तता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने बिना प्रशासन में एक रूपता बनाए रखने के लिए उपान्तरो का जहाँ-कहाँ अपेक्षित हो, सुझाव देना;

(ग) उद्योगों, संस्थाओं और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगठनों को परामर्श जैसी सेवाओं से स्वतः उत्पन्न होने वाली निधि के माध्यम से सम्पोषित विकास के लिए नवीन कार्यक्रमों की पहचान करना और उन्हें चलाना;

(घ) राज्य सरकार या किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या उच्च शिक्षा की संस्था को, उच्च शिक्षा और शोध से सम्बन्धित किसी अन्य विषय पर जोष परिषद् की निविष्ट कर, परामर्श देना;

(ङ) राज्य सरकार को नए महाविद्यालयों को प्रारम्भ करने और विद्यमान महाविद्यालयों से प्रतिरिपत विषयों और विभागों को प्रारम्भ करने, के लिए परामर्श देना;

चार—वित्तीय कृत्य—

(क) राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को सहायता अनुदान निम्नत करना और उनका अनुषवण करना;

(ख) छात्र कल्याण निधि, राष्ट्रीय छात्रवृत्तियों, अन्य छात्रवृत्तियों, ग्रंथ अनुदान, प्रकाशन अनुदान और ऐसे अन्य अनुदान जै से राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाए, का प्रबंध और विनियमन करना और उससे वित्तीय सहायता स्वीकृत करना;

(ग) राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय निधीयन अभिकरणों से परिषव द्वारा प्राप्त शोध निधियों को यदि कोई हो, निम्नत करना और उनका अनुषवण करना;

(घ) संस्थाओं को आत्म-निर्भर और व्यवहार्य बनाने की दिशा में राज्य सरकार को सहायता देना।

पांच-अन्य कृत्य—

(क) उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानियों और उन से सम्बन्धित विषयों के इतिहास को प्रकाशित करना;

(ख) उच्च शिक्षा और शोध में उत्कृष्टता की प्रमोदिका के लिए आवश्यक ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो उसे राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर सौंपे जाएं;

परिषद् की बैठकें

12--परिषद् उतनी बार जितनी आवश्यक हो, ऐसे समय और स्थान पर बैठकें करेगी और प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगी जैसी विनियमों में व्यवस्था की जाय।

परन्तु परिषद् की तीन मास में कम से कम एक बैठक होगी।

परिषद् का कर्मचारी वर्ग

13--परिषद् उतनी संख्या में कर्मचारियों को नियुक्त करेगी जितने राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत किए जाएं। परिषद् के कर्मचारियों की सेवा के निवृत्त और शर्तें ऐसी होंगी जैसी विनियमों में उपबन्धित की जाय।

परिषद् का बजट

14--परिषद् प्रत्येक वर्ष ऐसे प्रपत्र में और ऐसे समय पर जैसा विहित किया जाय, आगामी वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में अनुमानित प्राप्तियों और व्ययों को दर्शाते हुए एक बजट तैयार करेगी और उसे ऐसे प्रपत्र में जैसा विहित किया जाय राज्य सरकार को उसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगी।

परिषद् की निधि

15--(1) परिषद् की निधि होगी जिसमें निम्नलिखित जमा किए जायेंगे—

(क) पर राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया समस्त धन;

(ख) केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया समस्त धन;

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उपलब्ध कराया गया समस्त धन;

(घ) परिषद् को अनुदानों, उपहारों, दानों, उरुहृतियों, वसोयतों या अन्तरणों द्वारा प्राप्त समस्त धन;

(ङ) परिषद् को किसी अन्य रीति या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त समस्त धन।

(2) निधि में जमा समस्त धन ऐसे वेकों में जमा किया जायगा या ऐसी रीति से विनियोजित किया जायगा जैसा कि परिषद्, राज्य सरकार के अनुमोदन से, विनिश्चित करे।

(3) निधि को परिषद् के व्यय, जिसमें धारा 11 के अधीन उतकी शक्तियों का प्रयोग और उतके कृत्यों के निर्वहन में उपगत व्यय सम्मिलित है, को पूरा करने में लगाया जायगा।

वार्षिक लेखा और लेखा परीक्षा

16--(1) परिषद् का लेखा ऐसी रीति में और ऐसे प्रपत्र में, जैसा विहित किया जाय, रखा जायगा। परिषद् लेखों की एक वार्षिक विवरणों ऐसे प्रपत्र में, जैसा विहित किया जाय, तैयार करेगी।

(2) परिषद् के लेखों की लेखा परीक्षा वर्ष में कम से कम एक बार, ऐसे लेखा परीक्षक द्वारा, जिसे राज्य सरकार इस निमित्त नियुक्त करे, की जायगी।

(3) लेखा परीक्षा के प्रयोजनों के लिए उपधारा (2) के अधीन नियुक्त लेखा परीक्षक को ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार और प्राधिकार होंगे, जैसे विहित किए जाएं।

(4) परिषद् का सदस्य-सचिव लेखा परीक्षा रिपोर्ट को छत्रवायेगा और उतकी एक छपी हुई प्रति प्रत्येक सदस्य को भेजेगा और ऐसी रिपोर्ट को परिषद् के सामने उतकी अगली बैठक में विचार के लिए रखेगा।

(5) परिषद्, लेखा परीक्षा रिपोर्ट में इंगित किसी त्रुटि या अनियमितता के उपाय के लिये तत्काल समुचित कार्यवाही करेगी।

(6) लेखा परीक्षक द्वारा यथा प्रमाणित परिषद् के लेखों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट और उतके परिषद् की सम्पत्ति के साथ राज्य सरकार को, ऐसी अवधि के भीतर, जैसा विहित की जाय, भेजे जायेंगे।

(7) राज्य सरकार, लिखित आदेश द्वारा ऐसे समय के भीतर जो उतमें विनिश्चित किया जाय लेखा परीक्षा रिपोर्ट में बताई गई त्रुटियों को, यदि कोई हो, सुधारने के लिए परिषद् को ऐसी कार्यवाही करने के लिए, जो आदेश में विनिश्चित की जाय, निदेश दे सकती है, और परिषद् ऐसे निदेश का अनुपालन करेगी।

17—परिषद्, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, यथासंभव शीघ्र, ऐसे दिनांक से पहले और ऐसे प्रपत्र में जो विहित किया जाय, पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान अपने क्रिया-कलापों का विवरण देते हुए एक रिपोर्ट तैयार करेगी और राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी और इस रिपोर्ट में आगे वित्तीय वर्ष में परिषद् द्वारा विचार किए जाने वाले क्रिया-कलापों का, यदि कोई हो, विवरण भी होगा और राज्य सरकार प्रत्येक ऐसे रिपोर्ट को उसकी प्राप्ति के पश्चात्, यथासंभव शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखवायेगी। वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति विश्वविद्यालय प्रमुखान् आयोग को भी भेजी जाएगी।

वार्षिक रिपोर्ट

18—राज्य सरकार परिषद् को ऐसे निदेश जो उसकी राय में इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक और समीचीन हो, जारी कर सकती है और परिषद् ऐसे समस्त निदेशों को कार्यान्वित करेगी।

निदेश जारी करने की शक्ति

19—समस्त आदेश, विनिश्चय और अन्य लिखित परिषद् के सदस्य-सचिव या इस निमित्त परिषद् द्वारा प्राधिकृत परिषद् के किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित की जायेंगी।

परिषद् के आदेशों और अन्य लिखितों का अधिप्रमाणिकरण

20—परिषद् की सदस्यता में किसी रिक्ति या उसके गठन में किसी वृद्धि के रहते हुए भी, उसे कार्य करने की शक्ति होगी और परिषद् की कार्यवाहियाँ, इस बात के होते हुए भी कि किसी व्यक्ति ने, जो सदस्य होने के लिए हकदार नहीं था, परिषद् की कार्यवाही में बैठ, मतदान किया या अन्यथा भाग लिया था, विधिमाम्य होंगी।

गठन आदि में किसी वृद्धि के आधार पर परिषद् की कार्यवाहियाँ अधिप्रमाणिक न होंगी

21—परिषद् का अध्यक्ष, प्रत्येक सदस्य, सदस्य-सचिव और प्रत्येक कर्मचारी, जब वह इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसरण में या तदधीन बनाए या जारी किए गए नियमों, विनियमों, आदेशों या निदेशों के अनुसरण में कार्य करते या कार्य करने के लिए तात्पर्यित हो, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थात्गत लोक सेवक समझा जाएगा।

परिषद् के कर्मचारी और सदस्य लोक सेवक होंगे

22—राज्य सरकार, परिषद् या उसके अध्यक्ष या किसी सदस्य या राज्य सरकार या परिषद् के निदेशों के अधीन कार्य कर रहे किसी व्यक्ति या कर्मचारी के विरुद्ध ऐसी किसी कार्य के लिए जो इस अधिनियम के उपबन्धों के या तदधीन बनाए या जारी किए गए नियमों, विनियमों, आदेशों या निदेशों के अनुसरण में सम्भावना से किया गया हो या किए जाने के लिए अभिप्रेत हो, कोई वाद, अधियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

सम्भावना से किए गए कार्य का संरक्षण

23—परिषद् किसी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय से धारा 11 में निर्दिष्ट विषयों से सम्बन्धित ऐसी सूचना, दस्तावेज या अभिलेख, जिसे वह उचित समझे, प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकती है और ऐसा विश्वविद्यालय या महाविद्यालय परिषद् को मांगी गई सूचना, दस्तावेज या अभिलेख देने के लिए बाध्य होगा।

सूचना मांगने की शक्ति

24—विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के कक्ष में प्रत्येक अभिलेख, रजिस्टर या दस्तावेज की सदस्य-सचिव या परिषद् द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति देख सकता और धृ धारा 11 में निर्दिष्ट विषयों से सम्बन्धित सुसंगत अभिलेखों या दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकता है और उनकी प्रतिलिपियाँ ले सकता है।

अभिलेखों, रजिस्टरों आदि की निरीक्षण करने की शक्ति

25—राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

नियम बनाने की शक्ति

26—परिषद्, राज्य सरकार द्वारा बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए और राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से निम्नलिखित के सम्बन्ध में विनियम बना सकती है—

विनियम बनाने की शक्ति

(क) अपनी बैठकों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और गणपूर्ति के लिए श्रेष्ठित सदस्यों की संख्या को अधिकृत करना;

(ख) उन समस्त मामलों के लिए जो इस अधिनियम द्वारा विनियमों द्वारा उपबन्धित किए जाएं; और

(ग) केषल परिषद् से सम्बन्धित किसी अन्य विषय को व्यवस्था करने के लिए जिसकी इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों में व्यवस्था न हो।

27—(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, जैसा अवसर विशेष पर अपेक्षित हो, अधिसूचित आदेश द्वारा, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, निदेश दे सकती है कि यह अधिनियम, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वे परिष्कार, परिवर्द्धन या लोप के रूप में हों, जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे प्रभावी होगा।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

लिएरतु ऐसा कोई प्रावेश इस अधिनियम के प्रारम्भ के विना कि से दो वर्ष की अवधि को समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी प्रावेश द्वारा बनाए गए उपबन्ध प्रस्तावी होने माने इस अधिनियम में अधिनियमित किए गए हैं और ऐसा कोई प्रावेश किसी मूलतः विनिक्रि से, किन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व का विनिक्रि नहीं होगा, किया जा सकता है।

(3) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक प्रादेश, यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा और उत्तर प्रदेश अधारण उच्च अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के सम्बन्ध में लागू होते हैं।

निरसन
अपवाद:

28--(1) उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् अध्यादेश, 1995 एतद्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निहित अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी माने इस अधिनियम के उपबन्ध संसदीय सार्वजनिक समय पर प्रवृत्त होंगे।

अज्ञात से,

नरेंद्र कुमार नारंग,

प्रमुख सचिव।

No. 1665 (2)/XVII-V-1-1-(KA) 32-1995.

Dated Lucknow, August 25, 1995

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Uchcha Shiksha Parishad Adhiniyam, 1995 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 22 of 1995) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 25, 1995;

THE UTTAR PRADESH STATE COUNCIL OF HIGHER EDUCATION,
ACT, 1995

(U. P. ACT No. 22 OF 1995)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN
ACT

to provide for the establishment of a State Council of Higher Education in the State of Uttar Pradesh and for matters connected therewith and incidental thereto.

WHEREAS the National Policy on Education, 1986 of the Government of India contains recommendations that State level planning and co-ordination of higher education shall be done through the State Council of Higher Education;

AND WHEREAS the University Grants Commission constituted a committee to make recommendations regarding the setting up of State Councils of Higher Education as per the aforesaid National Policy;

AND WHEREAS the said committee recommended that there is a pressing need for an effective machinery for promotion and co-ordination of higher Education at the State level and co-ordination of State level programmes with those of the University Grants Commission;

AND WHEREAS the University Grants Commission has laid down the guidelines for setting up of State Councils of Higher Education, as recommended by the said Committee;

AND WHEREAS the State Government has accordingly decided to establish a State Council of Higher Education as recommended in the National Policy on Education of the Government of India and by the University Grants Commission;

NOW, THEREFORE, it is hereby enacted in the Forty-sixth Year of the Republic of India as follows :—

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh State Council of Higher Education Act, 1995.

Short title, commencement and application.

(2) It shall be deemed to have come into force on May 25, 1995.

(3) It shall apply to all the Universities and Colleges to which the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 applies.

2. In this Act—

Definitions.

(a) "college" means any institution maintained or recognized by the University to provide for the teaching necessary for admission to a degree of the University and includes an affiliated college, an associated college, an autonomous college and a constituent college;

(b) "Council" means the Uttar Pradesh State Council of Higher Education established under section 3;

(c) "Fund" means the fund of the Council referred to in section 15;

(d) "higher education" means education, whether professional, technical or otherwise, leading to the obtaining of any degree or diploma from any University;

(e) "institution of higher education" means an institution conducting any course of study in higher education, which is approved as such by the State Government;

(f) "member" means a member of the Council and includes the Chairman and the Member-Secretary;

(g) "regulations" means the regulations made by the Council under this Act;

(h) "University Grants Commission" means the University Grants Commission established under section 4 of the University Grants Commission Act, 1956;

(i) a word or expression defined in the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 used, but not defined herein, shall have the same meanings as is assigned to it in that Act.

3. (1) There shall be established a Council by the name "the Uttar Pradesh State Council of Higher Education."

Establishment of Council of Higher Education.

(2) The Council shall be a body corporate.

(3) The headquarters of the Council shall be at Lucknow.

4. The Council shall consist of the following members, namely :—

Constitution of Council.

(a) a Chairman, to be appointed by the State Government from amongst eminent academicians, who is or has been a Vice-Chancellor or a senior administrative officer, serving or retired, not below the rank of Additional Secretary to the Government of India, having aptitude and experience in the field of education;

(b) the Principal Secretary/Secretary to the State Government in the Department of Higher Education; .. Member Secretary

(c) the Principal Secretary/Secretary to the State Government in the Department of Finance; .. Member

(d) the Principal Secretary/Secretary to the State Government in the Department of Planning. ... Member

(e) the Secretary or any other officer of the University Grants Commission not below the rank of a Joint Secretary nominated by the Chairman of the University Grants Commission; .. Member

(f) the Director of Higher Education, Uttar Pradesh ... Member

- (g) the Director of Technical Education Uttar Pradesh; ... *Member*
- (h) three persons nominated by the State Government from amongst the Vice-Chancellors of the Universities; ... *Members*
- (i) not more than three persons nominated by the State Government from amongst eminent academicians each in the field of Education, Engineering and Law; ... *Members*
- (j) one person co-opted by the Council from amongst the Principals of Colleges. ... *Member*
- (k) one person co-opted by the Council from amongst reputed industrialists whose contribution to the cause of higher education is significant. ... *Member*

Temporary association of persons with the Council for particular purpose.

5. The Council may associate with itself for any particular purpose any person whose assistance or advice it may desire in carrying out its work. A person associated with the Council for any particular purpose shall have a right to take part in the discussions relevant to that purpose but shall not have a right to vote at a meeting of the Council.

Disqualification for membership of Council.

6. A person shall be disqualified for being appointed as Chairman or for being nominated as a member of the Council or for being such Chairman or nominated member, if—

- (a) he is of unsound mind;
- (b) he is an undischarged insolvent;
- (c) he has been sentenced for any offence involving moral turpitude, punishable under any law with imprisonment such sentence not having been annulled and a period of five years has not elapsed from the date of expiration of the sentence;
- (d) he is a paid officer or employee of the Council; or
- (e) he incurs such other disqualifications as may be prescribed by the State Government.

Terms and conditions of service of Chairman and nominated members.

7. (1) The Chairman shall hold office for a term of three years and the nominated members and the co-opted member shall hold office for a term of one year and shall be eligible for re-appointment or re-nomination or co-option for a further term of three years, or one year, as the case may be:

Provided that if a person has attained the age of 65 years, he shall not be eligible for appointment or re-appointment as a Chairman of the Council.

(2) The Chairman or the nominated member or, co-opted member may, by writing under his hand addressed to the State Government or the Council as the case may be, resign his office but he shall continue to hold office until his resignation is accepted by the State Government or, as the case may be, by the Council.

(3) Subject to the provisions of this section, the other terms and conditions of service of the Chairman and the nominated members shall be such as may be prescribed.

(4) The Chairman shall exercise such powers and perform such functions as may be prescribed.

Powers and duties of Member-Secretary.

8. The Member-Secretary shall exercise the powers and perform the functions conferred or imposed on him under this Act and such other powers and functions as may be prescribed.

Removal from membership of Council.

9. If, at any time, it appears to the State Government that the Chairman or a nominated member or the co-opted member has shown himself to be unsuitable for office or has been guilty of mis-conduct or neglect which renders his removal expedient, the State Government may, after giving him a reasonable opportunity to show cause, by notification, remove the Chairman or such nominated or co-opted member, as the case may be, from the office.

10. If a vacancy occurs in the office of the Chairman or of a nominated or co-opted member, either by reason of his death, resignation, removal or otherwise, such vacancy shall be filled, as soon as may be, by the State Government or by the Council, as the case may be, and such Chairman or nominated or co-opted member shall hold office for a period not exceeding six months or till a duly nominated or co-opted member joins whichever is earlier.

Filling of casual vacancy.

11. (1) The functions of the Council shall be to co-ordinate and determine standards in Universities and colleges in accordance with the guidelines issued by the University Grants Commission from time to time.

Powers and functions of Council.

(2) Subject to the provisions of sub-section (1), the functions of the Council shall include—

I. Planning and Co-ordination :

(a) to prepare consolidated programmes in the sphere of higher education in the State keeping in view the overall priorities and perspectives of higher education in the State and the guidelines issued by the University Grants Commission and to assist in their implementation;

(b) to assist the University Grants Commission in respect of determination and maintenance of standards and suggest remedial action wherever necessary;

(c) to prepare perspective plans for development of higher education in the State;

(d) to submit to the State Government, if so required by it, the development programmes of Universities and colleges, along with its comments and recommendations;

(e) to promote co-operation of institutions of higher education amongst themselves and explore the scope for interaction with industry and other related establishment;

(f) to formulate norms and principles for starting new colleges and additional subjects and departments in the existing college in accordance with the guidelines issued by the State Government and the University Grants Commission;

(g) to suggest ways and means for augmenting additional resources for higher education in the State;

(h) to co-ordinate research funding at national and international level for promotion of scientific research in the Universities and colleges.

II. Academic Functions :

(a) to encourage innovations in curriculum development, restructuring and updating of syllabi in Universities and colleges;

(b) to co-ordinate the programmes of autonomous colleges and to monitor their implementation;

(c) to devise methods and steps to improve the standards of examinations conducted by the Universities and autonomous colleges and to suggest necessary reforms;

(d) to facilitate training of teachers in Universities and colleges, and to oversee the functioning of the academic staff colleges through co-ordination and to encourage publication of quality text books, monographs and reference books etc.;

(e) to develop programmes for effective academic co-operation and interaction between the faculties in the Universities and colleges and to facilitate mobility of teachers and students in and outside the State;

(f) to advise on regulating the admissions in the Universities and colleges;

(g) to encourage sports, games, physical education, cultural activities and other extra-curricular activities in the Universities and colleges;

(h) to encourage extension activities and to promote interaction between Universities and industries through effective consultancy in special areas relevant to the Universities and regional planning and development;

(i) to prepare an overview report on the working of the Universities and colleges in the State and to furnish a copy thereof to the State Government and such other authorities as the State Government may specify;

(j) to identify Centres of Excellence in the Universities and provide national and international linkage for the growth of science and technology in frontier areas;

(k) to promote Institutions of Excellence within or outside the University in frontier areas of knowledge including molecular biology, genetic engineering, aero-space biotechnology;

(l) to set up a State Centre for Scientific Research and to co-ordinate the research activities among Universities;

(m) to institute prestigious awards to outstanding scientists, academicians and technologists for their contributions;

(n) to work in liaison with the University Grants Commission, All-India Council for Technical Education and other central agencies in relation to higher education.

III. Advisory Functions :

(a) to make suggestions to the State Government regarding the norms, if any, relating to the establishment of new Universities and colleges;

(b) to examine the laws relating to the Universities, the Statutes, Ordinances and Regulations of Universities in the State and to suggest modifications wherever required to maintain uniformity in the administration without prejudice to the autonomy for the academic pursuits;

(c) to identify and to administer innovative programmes for sustainable growth through self generating funds from services such as consultancy to industries, institutions and national and international organisations;

(d) to advise the State Government or any University, college or institution of higher education on any other matter relating to higher education and research which they may refer to the Council;

(e) to advise the State Government for starting new colleges and additional subjects and departments in the existing colleges.

IV. Financial Functions :

(a) to release and monitor grants-in-aid to Universities and colleges for the purposes specified by the State Government;

(b) to administer and regulate the Student Welfare Fund, National Scholarships, other scholarships, Travel Grant, Publication Grant and such other grants as may be specified by the State Government; and to sanction financial assistance therefrom;

(c) to release and monitor research funds, if any, received by the Council from national and international funding agencies;

(d) to advise the State Government on steps to make institutions self-sufficient and viable.

V. Other Functions :

(a) to publish history of freedom-fighters of Uttar Pradesh and the matters related thereto;

(b) to perform such other functions necessary for promoting excellence in higher education and research as may be entrusted to it by the State Government from time to time.

12. The Council shall meet, as often as may be necessary, at such time and place and observe such rules of procedure as may be provided in the regulations:

Meetings of Council.

Provided that the Council shall meet at least once in three months.

13. The Council shall appoint such number of employees as may be sanctioned by the State Government from time to time. The terms and conditions of service of the employees of the Council shall be such as may be provided in the regulations.

Staff of Council.

14. The Council shall prepare, in such form and at such time, every year as may be prescribed, a budget in respect of the next financial year showing the estimated receipts and expenditure and it shall be submitted, in such form as may be prescribed, to the State Government for its approval.

Budget of Council.

15. (1) The Council shall have its own Fund in which shall be credited—

Fund of Council.

(a) all moneys provided by the State Government;

(b) all moneys provided by the Central Government;

(c) all moneys provided by the University Grants Commission;

(d) all moneys received by the Council by way of grants, gifts, donations, benefactions, bequests or transfers;

(e) all moneys received by the Council in any other manner or from any other source.

(2) All moneys credited to the Fund shall be deposited in such banks or invested in such manner as the Council may, with the approval of the State Government, decide.

(3) The Fund shall be applied towards meeting the expenses of the Council including the expenses incurred in the exercise of its powers and discharge of its functions under section 11.

16. (1) The accounts of the Council shall be maintained in such manner and in such form as may be prescribed. The Council shall prepare an annual statement of accounts in such form as may be prescribed.

Annual Accounts and Audit.

(2) The accounts of the Council shall be audited at least once in a year by such auditor as the State Government may appoint in this behalf.

(3) The auditor appointed under sub-section (2) shall, for the purposes of audit, have such rights, privileges and authority as may be prescribed.

(4) The Member-Secretary to the Council shall cause the audit report to be printed and shall forward a printed copy thereof to each member and place such report before the Council for consideration at its next meeting.

(5) The Council shall take appropriate action forthwith to remedy any defect or irregularity that may be pointed out in the audit report.

(6) The accounts of the Council as certified by the auditor together with the audit report along with the remarks of the Council thereon shall be forwarded to the State Government within such period as may be prescribed.

(7) The State Government may, by order in writing, direct the Council to take such action as may be specified in the order to remedy, within such time as may be specified therein, the defects, if any, disclosed in the audit report, and the Council shall comply with such direction.

17. The Council shall, as soon as may be, after the end of each financial year, prepare and submit to the State Government, before such date and in such form as may be prescribed, a report giving an account of its activities during the previous year and the report shall also give an account of the activities, if any, which are likely to be undertaken by the Council in the next financial year and the State Government shall cause every such report to be laid before both Houses of the State Legislature as soon as may be after its receipt. A copy

Annual Report.

of the annual report shall also be forwarded to the University Grants Commission.

Power to issue directions.

18. The State Government may issue to the Council such directions as in its opinion, are necessary or expedient for carrying out the purpose of this Act and the Council shall give effect to all such directions.

Authentication of orders and other instruments of the Council.

19. All orders, decisions and other instruments shall be authenticated, by the Member-Secretary of the Council or any other officer of the Council authorised by the Council in this behalf.

Proceedings of Council not to be invalid on the ground of defect in Constitution etc.

20. The Council shall have power to act, notwithstanding any vacancy in the membership, or any defect in the constitution thereof, and the proceedings of the Council shall be valid notwithstanding that some person, who was not entitled to be a member had sat, voted or otherwise taken part in the proceedings of the Council.

Members and employees of Council to be public servants.

21. The Chairman, every member, the Member-Secretary and every employee of the Council, when acting or purporting to act in pursuance of the provisions of this Act or the rules or regulations or orders or directions made or issued thereunder shall be deemed to be a public servant within the meaning of section 2 of the Indian Penal Code.

Protection of action taken in good faith.

22. No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the State Government, the Council or the Chairman or any member thereof or any employee or person acting under the directions of the State Government or the Council, for anything done or intended to have been done in good faith in pursuance of the provisions of this Act or the rules, regulations, orders or directions made or issued thereunder.

Power to call for information.

23. The Council may require any University or college to submit such information, document or record relating to the matters referred to in section 11 as it thinks fit and such University or the college shall be bound to furnish to the Council the required information, document or record.

Power to inspect records, registers etc.

24. The Member-Secretary or any other person authorised by the Council shall have access to every record, register or document in possession of the University or college and may inspect and take copies of relevant records or documents relating to the matters referred to in section 11.

Power to make rules.

25. The State Government may make rules for carrying out the purposes of this Act.

Power to make regulations.

26. The Council may, subject to any rules made by the State Government and with the previous approval of the State Government, make regulations—

(a) laying down the procedure to be followed at its meetings and the number of members required to form the quorum,

(b) providing for all matters which by this Act are to be provided for by regulations, and

(c) providing for any other matter solely concerning the Council and not provided for by this Act or the rules made thereunder.

Power to remove difficulties.

27. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may if occasion requires, by a notified order not inconsistent with the provisions of this Act direct that this Act shall have effect subject to such adaptations whether by way of modification, addition or omission, as it may deem to be necessary and expedient:

Provided that no such order shall be made after the expiration of two years from the date of the commencement of this Act.

(2) The provisions made by any order under sub-section (1) shall have effect as if enacted in this Act and any such order may be made so as to be retrospective to any date not earlier than the date of commencement of this Act.

(3) Every order made under sub-section (1) shall be laid, as soon as may be before both the Houses of the State Legislature and the provisions of sub-section (1) of section 23-A of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 shall apply as they apply in respect of the rules made by the State Government under any Uttar Pradesh Act.

28-(1) The Uttar Pradesh State Council of Higher Education Ordinance, 1995 is hereby repealed.

Repeal and savings.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
N. K. NARANG,
Pramukh Sachiv.

U.P.
Ordinance
No. 26 of
1995